REGARDING POINT OF ORDER RAISED BY A MEMBER

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सर, दो बाते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको नहीं कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I am not yielding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He is not yielding. ...*(Interruptions)*... If you have a point of order, then you have to show the rule. He is not yielding.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, if you direct, I will yield. Is there a point of order?

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Under what rule?

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, please listen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have to first tell me the rule.

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, it is a simple Parliamentary procedure that when a CAG report is there, it will be discussed by the PAC. And, nobody can discuss any audit report of any State Assembly here until it is examined by the PAC. So, all the things which have been stated by Shri Digvijaya Singh are irrelevant. यह स्टेट सब्जेक्ट है और जो दूसरा विषय है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The Member will consider if that CAG report has been considered by the PAC, or, whether the PAC has given the report to the Parliament. ...*(Interruptions)*... If it has given the report to the Parliament, it is the property of the House. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, दूसरा यह है कि जब कोई वक्ता यहां पर बोलता है ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ...**(व्यवधान)**... कोई भी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ले आए ...**(व्यवधान)**... इससे यह बात साफ होती है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ है, तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं आना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, ये जो गुजरात के संबंध में लोकायुक्त की बात कह रहे हैं, इसमें ज्यूडिशियल आसपेक्ट है कि इनके ही नेताओं ने यानी जो विपक्ष के नेता था, उन्होंने समर्थन नहीं किया था। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): जब आपका समय आएगा, तब आप बोलिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, ये इस तरह असत्य आरोप नहीं लगा सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): यह आपका कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, मेरी बात प्रमाणित हो जाती है कि इस सरकार की साफ नीयत नहीं है, जिसकी वजह से बेबुनियाद point of order उठाए गए। मैं अनुरोध कर रहा हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आपकी राफेल डील के अंदर agreement sign होने के पहले तक न फाइनेंस मिनिस्ट्री का approval था, न Defence Ministry को मालूम था। प्रथम सेवक जी ने पेरिस में जाकर उसका agreement कर दिया। अब इस Act के अंतर्गत यह बात कहां आएगी? क्या हमारी सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनको established Government procedures का पालन नहीं करना चाहिए? माननीय रक्षा मंत्री जी price difference बताने के लिए तैयार नहीं हैं। किस कीमत पर आपने Rafale के हवाई जहाज़ खरीदे, आप बताने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट आई, Rafale की जो Annual Report आई, उससे हमें मालूम पड़ा कि जिस हवाई जहाज़ को 650 करोड़ रुपए में दूसरे देश को बेचा गया, हमसे 1300 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। कहा गया था कि हमको जल्द खरीदता था, इसलिए हमने एग्रीमेंट कर लिया। आज तक तो उसकी खरीद हुई नहीं है। एक हवाई जहाज़ आया नहीं है। इसी प्रकार मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं Zojila Pass tunnel का single टेंडर हुआ, crony capitalism की बात श्री मनोज झा जी कर रहे थे, उसका उदाहरण है कि 10,500 करोड़ रुपए में single tender पर tender मंजूर किया गया। शिकायत हुई। सीवीसी को शिकायत हुई, tender cancel हुआ और वही 10,500 करोड़ रुपए का टेंडर 4,880 करोड़ रुपए में मंजूर हुआ। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला जब हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार मिटाने में Prevention of Corruption Act में यह मसला आएगा? माननीय महोदय, मुझे नहीं मालूम। "मैं नोट कराना चाहता हूं मध्य प्रदेश का व्यापम का सबसे बड़ा घोटाला, जिसके अंदर 2100 लोग जेल गए थे, जिन्होंने bribe दिया। bribe क्यों दिया? बच्चों को medical seat दिलवाना था, बिना पैसे दिए हो नहीं रहा था। सब को मालूम था प्रशासन के अंतर्गत ये लोग बैठ कर भ्रष्टाचार कर रहे थे। 2100 बच्चे, उनके माता-पिता उन पर मुकदमे दायर किए। जेल भुगतना पड़ा उन लोगों को और जिन्होंने लिया वे 69 लोग थे। अब केस CBI के पास गया। अब बात तो यह है कि इसको जिन्होंने पैसा दिया है अगर श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रकरण में जिस प्रकार से approver बनाया जाता तो conviction हो जाता। Approver नहीं बनाया गया, अब वो 2100 लोग जिन्होंने पैसे देकर medical seats में भर्ती की वो अब परेशान हैं। दूसरी बात case चला गया CBI के पास। अब सीबीआई के तो आप भी मंत्री हैं। वहां क्या महाभारत चली हुई है देख लीजिए। Director, CBI कहते हैं कि Special Director जो है खुद उसके ऊपर जांच चल रही है और उसमें जो Special Director ने Sterling Biotech Ltd. के अंदर घूस ली है, उनके ऊपर जांच चल रही है। अब आप मुझे फिर प्वाइंट आउट करेंगे क्योंकि आप सहन नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हैं, उनको आपने जो डायरेक्टर बना रखा है ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... This is unparliamentary. ...*(Interruptions)*....

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, he is not yielding. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Do you wish to raise a point of order? ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPENDER YADAV: Yes, Sir. It is a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Under which rule? ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, he is not yielding. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into the record and if there is anything unparliamentary, I will expunge it. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंहः जब भी मैं प्रमाण के साथ **...(व्यवधान)...**

श्री भूपेन्द्र यादवः दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, my point of order is, under Rule 238. Rule 238 (i) states that "a member shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending" ...*(Interruptions)*... ये लगातार गलत बोल रहे हैं **...(व्यवधान)...** अभी ज्यूडीशियल डिसीज़न पेंडिंग है। **...(व्यवधान)...**

SHRI DIGVIJAYA SINGH: This case is not under judicial examination. ...*(Interruptions)*... It is not pending. ...*(Interruptions)*... It is not under judicial domain. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादवः तो जिस विषय में ज्यूडीशियल डिसीज़न पेंडिंग हो, उसको भ्रष्टाचार का विषय कहना मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: This case is not under judicial domain. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादवः आप इनकी बातों को एक्सपंज कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंहः उपसभापति महोदय, पहली बात तो मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। यह पब्लिक डोमेन में है।

श्री भूपेन्द्र यादवः यहां ज्यूडीशियल डिसीज़न पेंडिंग है। उसको अगर सदन का कोई भी सदस्य इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि उसमें भ्रष्टाचार हो गया है तो Rule 238 (i) में इस बातों को एक्सपंज किया जाना चाहिए और मुझे protection दिया जाना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into the records.

श्री दिग्विजय सिंहः भ्रष्टाचार के प्रकरणों में नीयत साफ होनी चाहिए। वहां नीयत साफ नहीं है, तो बार-बार मुझे टोका जा रहा है। माननीय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि डायरेक्टर, सीबीआई चिट्ठी लिख रहे हैं। माननीय डॉक्टर साहब, माननीय मंत्री महोदय, आपके अंतर्गत ये सब बातें आती हैं, इस महाभारत को रोकिए। सीबीआई भ्रष्टाचार रोकने की हम लोगों की एक प्राइम एजेंसी है और जिस प्रकार से महाभारत चली हुई है, उस पर आप कुछ रोक लगाइए। या तो एक को हटाइए या दूसरे को हटाइए। यह क्या हो रहा है? आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। सीबीआई की पूरी इंस्टिट्यूशन आज खतरे में है। लोग-बाग चिन्ता करते हैं कि जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, वे अधिकारी जब खुद भ्रष्टाचार के दायरे में हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं दो-तीन बातें और कहूंगा। ...**(समय की घंटी)**... महोदय, इस एक्ट में Under Section 13(i)(d) ...**(व्यवधान)**...

श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव (उत्तर प्रदेश): सर, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please sit down. I am not allowing you. ...*(Interruptions)*...देखिए, आपको मौका दिया जाएगा, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, it is not a TV channel debate. ...*(Interruptions)*... It should not be allowed. ...*(Interruptions)*... The Member has not yielded. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He has to conclude. ...*(Interruptions)*... आप अगर इसको और बढ़ाएंगे, ...**(व्यवधान)**... We do not have much time to have argument here. ...*(Interruptions)*... Please be seated. You will have time to speak if your Party gives your name; I will call you. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V. L. NARASIMHA RAO: He is misleading the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Every time, you are misleading the nation. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V. L. NARASIMHA RAO: We have no business to mislead. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंहः सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी सरकार की नीयत इस बात से साफ

होती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने के लिए सीबीआई के अधिकारी मनमाफिक appoint किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सेक्शन 13 (i) (d), जिसको यहां लुप्त किया गया है, उसके अंदर पुराने प्रकरण, जिनके अंदर एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन चार्जशीट नहीं की गई हैं, उसके बारे में माननीय मंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे अधिकारी, जिन पर एफआईआर दर्ज होने की वजह से आज उनके ऊपर यह केस चल रहा है, क्योंकि कोई भी केस जब तक चार्जशीट नहीं होता है, वह judicial domain में नहीं आता है, इसलिए वे इस पर पुनर्विचार करें। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भ्रष्टाचार खत्म तब होगा, जब सरकार की नीयत साफ होगी, धन्यवाद।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 में आधिकारिक संशोधनों को शामिल करने के लिए आज इस विधेयक पर बहुत ही गहन चर्चा हो रही है। मैं काफी वक्ताओं का भाषण सुन रहा था और मेरे से पूर्व वक्ता, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब थे, जिन्होंने यह संकेत किया कि इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है। पूरे देश की जनता ने इस सरकार को मुहर लगाकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बिठाया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है और नेतृत्व भी ठीक है और इस पर मुहर लग चुकी है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब देश की राजनीति भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बदलाव लाती थी। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। अगर हम पूर्व में देखें, तो बोफोर्स तोप खरीदी में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर पूरे देश में उबाल मचा, राजनीतिक दिशा बदल गई और राजनीतिक निर्णय बदले। इसके बाद पिछली बार सरकार की सरकार, यूपीए की सरकार सारी सीमाएं लांघ गई। उसने हमारे देश के सम्मान और मर्यादा को एक तरह से गिरवी रखा, विदेशों में हमारी थू-थू हुई, पूरे देश की जनता छटपटा रही थी कि इस सरकार से कब मुक्ति मिले। इन सभी बातों को देखते हुए हमारी सरकार ने महसूस किया, हमारी सरकार ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया और भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 में संशोधन करने को मंज़ूरी दी। उसमें आवश्यक संशोधन करके भ्रष्टाचार को रोकने में और क्या बेहतर व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर उपाय साबित हो सके और भ्रष्टाचारियों को सज़ा मिल सके। ऐसा सोचकर हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। माननीय उपसभापति महोदय, आज पूरे देश के जो हालात हैं। आज देश में हमारी सरकार जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग, सभी के लिए पारदर्शिता के साथ व पूरी निष्ठा के साथ हमारी सरकार व हमारा नेतृत्व जो काम कर रहा है, उससे पूरे देश में एक अच्छे वातावरण का निर्माण हुआ है। इसीलिए आज इस अधिनियम के माध्यम से हम एक स्वच्छता की राजनीति करना चाहते हैं, इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं। भ्रष्टाचारियों का स्थान बाहर न होकर जेल में होना चाहिए, ऐसा सोचकर हमारी सरकार ने यह विधेयक लाने का व इसमें आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है।

माननीय महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से हमारी वाहवाही हो रही है, देश का मान-सम्मान बढ़ा है, देशवासियों का सम्मान बढ़ा है, हम फख्र के साथ

[श्री राम विचार नेताम]

कह सकते हैं कि हमारे चाल साल के कार्यकाल में किसी एक मंत्री के ऊपर एक ही आरोप नहीं लगा। आप यह क्यों नहीं कहते? आपके अभी तक के किसी भी कार्यकाल में, चाहे वह हमारे तमाम पूर्व प्रधान मंत्रियों का कार्यकाल रहा हो, यूपीए की सरकार का कार्यकाल रहा हो, उस समय के किसी भी विभाग को उठाकर देखिए, किसी भी मंत्रालय को उठाकर देखिए, भ्रष्टाचार के बिना कुछ नहीं होता था। उस समय का नारा होता था कि जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। इस नीति पर सरकार चल रही थी, जिसके कारण पूरे देश का ताना-बाना बिगड़ गया। पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उस पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे आदरणीय नेतृत्वकर्त्ता लोग हैं, जिनका हम सम्मान के साथ नाम लेते हैं। इस देश में उनकी एक अलग छवि है। आदरणीय ए.के. अन्तोनी साहब को हम नहीं भुला सकते, आदरणीय जयराम रमेश जी को हम नहीं भुला सकते, जिनका नेतृत्व है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व रहे, जिनके कार्यकाल में खनिजों का आबंटन करने के लिए, कोयले की लीज़ लेने के लिए टोकन मिलता था। टोकन लेने के बाद ही कोयले का आबंटन होता था। किसे पर्यावरण की क्लियरेंस मिलेगा, यह भी तय होता था। आदरणीय महोदय तो बता रहे थे कि किस तरह से कार्यभार चलता था। वहां किस प्रकार स्थिति बनी हुई थी। इस प्रकार का जो चक्रव्यूह बना हुआ था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश का सम्मान दूषित हो रहा था, पूरे सम्मान पर बट्टा लगा हुआ था। उसे सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की कि हम न खाएंगे, न हम खाने देंगे। इस देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए जब तक हमारा नेतृत्व, नीयत व नेताओं का चरित्र ठीक नहीं होगा, वे भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करना नहीं चाहेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि देश के हालात नहीं बदलेंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने 32 करोड़ खाते खोलकर ऑनलाइन के माध्यम से तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके खाते में समाहित करने का निर्णय लिया और वह निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि एक ज़माना था - इस बात को हर कोई quote करता है - जब आपके नेता ही कहा करते थे कि जब हम एक रुपया भेजते हैं तो लोगों की पॉकेट तक केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। महोदय, ये हालात क्यों पैदा हुए? ये हालात इसीलिए पैदा हुए क्योंकि आप लोगों ने पारदर्शिता के साथ शासन नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने पारदर्शिता को अपनाया है। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो उनकी जरूरत की चीज़ें हैं, उन तक उन सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं उन बातों का एक के बाद एक उल्लेख करना चाहता हूं। यह जो बिल है, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और अगर इसमें किसी प्रकार की कमी होगी तो आगे चलकर फिर से हम उसे समाहित कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। महोदय, इतने सालों से यह बिल पेंडिंग था, इसमें हम सबका क्या उत्तरदायित्व है, हम किस उत्तरदायित्व को लेकर यहां आए हैं? हम सबको जनता ने एक जिम्मेदारी देकर यहां पर भेजा है, इसलिए हम कम से कम इस देश की जनता के सामने एक चित्र तो दिखाएं। हमारी सरकार एक परिवर्तन कर रही है, जो निर्णय ले रही है, वह निर्णय आने वाले दो-चार साल नहीं, बल्कि सैंकड़ों सालों तक याद रखने वाला होगा। इसीलिए इन सभी बातों से प्रेरित होकर, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए हम इस बिल के माध्यम से ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसेंगे। उन्हें सज़ा दिलाने के

लिए जो पांच एजेंसियां हैं, उन्हें हम कैसे और मज़बूत कर सकें, उन्हें कैसे और सशक्त बना सकें, यह सब विचार करके इस बिल को लाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी प्रावधान हैं ...**(समय की घंटी)**... आदरणीय प्रसन्न आचार्य जी ने बहुत सारे बिलों का समर्थन किया है, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी ने भी इस बारे में उदाहरण दिया और कहा कि इस प्रकार के प्रावधान में हमें समर्थन देना चाहिए, जो अच्छे प्रावधान हैं, उनका समर्थन करके हमें इसे और सशक्त बनाना चाहिए। इस दिशा में काम करने की जरूरत है।

महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार की नीयत ठीक है, नीति ठीक है और नेतृत्व ठीक है, इसलिए यह सरकार इतना अच्छा काम कर पा रही है। हम किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं कि आज देश के कल्याण के लिए किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। आप अलग-अलग बातें कहकर आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए आप ऐसी-ऐसी बातों को उठाते हैं। आप कहते हैं कि राफेल खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है। आप यह बताइए कि एम्बेसेडर कार में बहुत सारी सीरीज़ आती हैं, इसी प्रकार अन्य तमाम गाड़ियों में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, उनमें कुछ technicalities जोड़ी जाती हैं, बहुत सारे प्रावधान होते हैं तो उनकी कीमत एक जैसी थोड़ी ही रहती है। किसी गाड़ी की कीमत एक करोड़ होती है तो किसी की कीमत दो करोड़ भी है। इस प्रकार उसमें कुछ न कुछ विशेषता तो होगी, जिसकी वजह से ऐसा होता है। यह सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, आप सब बहुत सम्मानित जन हैं, आपके सामने हम लोग कुछ नहीं हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद आप इस तरह के आरोप लगाते हैं। देश की जनता को गुमराह करने की आपकी जो आदत है, उसे आप छोड़िए और सही रास्ते पर जो देश चल रहा है - जो चल पड़ा है, दौड़ रहा है, उस ट्रैक में आप भी शामिल होइए, वरना आपकी जो स्थिति है, पिछले चुनाव में, 2014 में देश की जनता ने जनादेश देकर हमें यहां पर बिठाया है और आपको इस लायक बना दिया कि आप विरोधी दल का नेता भी बनाने लायक नहीं रहे - यह स्थिति है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब समाप्त करिए।

श्री राम विचार नेताम: आप इससे सबक लीजिए और अनावश्यक मुद्दे पर मत जाइए। देश के हित में निर्णय लेने के लिए जो जनता का समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन में आप भी समाहित होइए और हमारा साथ दीजिए, वरना आज जो स्थिति है, उससे भी बुरा हाल होने वाला है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Thank you, hon. Vice-Chairman, Sir. The Prevention of Corruption Act is among thousands of laws that we have in our country. But it has its peculiarities. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, the Minister concerned is not here at all. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Other Ministers are here.

SHRI JAIRAM RAMESH: For ten minutes, he has been absent. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Other Ministers are here. They are taking notes.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Minister concerned should be here. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): He should be here, but other Ministers are here. They are taking notes.

SHRI MAJEED MEMON: The peculiarity of this important piece of legislation, namely, Prevention of Corruption Act, is absolutely important for any society to be crime-free. As a matter of fact, this is a law which is different from other laws because it is a test for them as well who are enacting or enforcing laws or punishing the guilty. I must make myself clear that as far as the Prevention of Corruption Act is concerned, it is an endeavour of elimination of corruption from the society. In our country, we see that there are many areas where Anti-Corruption Bureau functions and Anti-Corruption Bureau must consist of officials whose honesty is beyond question, whose impeccability of character and professionalism must be above average because there is a vulnerable temptation in the matters of corruption and, therefore, only the honest officers can deliver. Laws may be too many. Unfortunately, as it is rightly stated, in any civil society, we may have too many laws and we do have. We have too many laws and too little justice. I think this Prevention of Corruption Act is an extremely important enactment and now that we are seeking amendment to certain provisions, we should make some improvements so that we get results on the ground. Unfortunately, I must say that some friends from BJP have been talking about slogans that have been given since 2014 – न खाऊंगा, न खाने दूंगा and भ्रष्टाचार मुक्त समाज. Let us look into our hearts. I am asking my friends there. Please tell me whether there is no corruption in small areas within our country. Go to local places; go to a police station; go to a corporation office; go to any Government official. Don't you feel that there is corruption still there? So, let us not politically struggle this issue as to steal credit or make blames. I am concerned for the common man. A common man still believes today in 2018, when the whole term is about to end after the assurances were given in 2014, that unless he puts his hands into his pocket, no work is being done. Why is it so? We will have to tighten

the grip of law. This Prevention of Corruption Act needs improvement apart from the amendments that are suggested. Let the people note this. We must have, as I said, Anti-Corruption Bureau with strong officers who enjoy confidence of honest people, who enjoy confidence of common people and who can be trusted upon for purposes of prosecuting people who are dishonest, prosecuting and punishing the people who have committed crimes under the Corruption of Prevention Act.

Now, there is a reference to Lokpal and Lok Ayuktas. I am sorry to say that these Lok Ayuktas or Lokpal are not in their places till today. We have no Lok Ayuktas in very many States. Lokpal is still not seen around. Therefore, we will have to look to somebody else. There is already a CVC. Why should not CVC be a supervisory investigating agency on the Anti-Corruption Bureau? If there are certain people inside the Anti-Corruption Bureau who resort to corruption, where are you going to get justice? As I said, therefore, we need to have such a system which should inspire confidence among the common people. Secondly, it should deliver results on the grounds. Unless a small Indian citizen or a poor man, who goes with a hope that his right would not be violated, that he would get his dues and that he is entitled to his legitimate claims, gets it without spending anything from his pocket or without out-of-pocket expenses, which is happening even today, it is not good. Where are our tall claims that we are living in a society which is corruption-free? I would not be wrong if I quote somebody who said that we are living in a society where if we are caught accepting the bribe, you can get out of it by offering one. If that is the situation then we can't boast of a society which is corruption free. This is an area where a lot of work is required to be done in co-ordination with both the Ruling Party as well as the Opposition. ...*(Time-bell rings)*... We are prepared to extend our assistance to the Government for the purposes of strengthening this law; for the purposes of seeing to it that we see the results on the ground. So long as a poor man, it may be a farmer or a labourer or a student or a woman, is not happy or satisfied that without spending money he can get his legitimate due, we cannot boast that we have good laws in place. Thank you very much.

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I will make it short because my party doesn't have too much time left. First of all, I would like to bring to the attention of the hon. Minister that there was a Supreme Court Judgement recently which said that all cases of politicians, that is, MPs and MLAs, would go to a Special Court. Now, what they have done is, in States if there are hundred cases before a Court of

[Shri Vivek K. Tankha]

Magistrate and say, fifty cases before the Court of Additional Sessions Judge or Sessions Judge, so, मजिस्ट्रेट के यहां जो केसेज़ थे, उन्होंने वे भी सेशन जज को भेज दिए हैं। That means cases of MPs and MLAs के केसेज़ जो suppose three-tier में होते, पहले मजिस्ट्रेट उस पर ट्रायल करता, फिर अपीलेट कोर्ट उस पर डिसाइट करता, then, they would have gone to High Court. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ambiguity होने से कई स्टेट्स ने एक अपील की स्टेज़ खत्म कर दी। And, all Magisterial cases have been sent to the Sessions Court also. इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफिकेशन भी लेना चाहिए कि जो एमपीज़ एंड एमएलएज़ के केसेज़ हैं, क्या वे CPC के प्रोसिज़र से हटकर उनका ट्रायल होगा कि in terms of CPC प्रोसिज़र होगा और उनका जो अपील का अधिकार है, वह खत्म कर दिया जाएगा।

नम्बर दो, जो कि एक बहुत important point है, मैं थोड़ी सी statistics देता हूं, जो पेंडिंग केसेज़ ट्रायल में हैं The Prevention of Corruption Act पूरे देश में are approximately 6,400. The average time for an investigation is three to five years in the Prevention of Corruption Act. 6,400 केसेज़ में 16,875 पब्लिक सर्वेंट्स हैं, 18,780 प्राइवेट पर्सन्स हैं और 115 एमपीज़ और एमएलएज़ हैं। The problem that I see is कि जो इन्वेस्टिगेशन के केसेज़ हैं, how they will be dealt with. अगर आप सैक्शन (1) देंखेंगे, it says that this Act shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. अब suppose Act बन जाता है, नोटिफाई हो जाता है, तो एक डेट आ जाएगी। जो एफआईआर के स्टेज पर केसेज़ हैं, जिनमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनको आप कैसे डील करेंगे, इसमें Savings and Repeal Clause का कोई प्रोविज़न इस बिल में नहीं है। You will go to the General Clauses Act. वहां पर all pending cases have to be dealt by the old law. तो सैक्शन 13, suppose, जो आपका यहां पर सबसे बड़ा चेंज है, present Section 13 will be applied to those cases जहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और चार्जशीट नहीं हुई है, cognizance नहीं हुआ है, जिसमें sanction नहीं हुआ है or सैक्शन 13, उनका ओल्ड सैक्शन 13 से इन्वेस्टिगेशन होगा एंड प्रजेंट सैक्शन 13 से उनको नहीं डील किया जाएगा। It is an important point which will affect a lot of investigation. अब इसमें लिटीगेशन भी होगा। आपने प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट को तीन भागों में बांट दिया है। आपने पुराने प्रोविजन्स को डिलीट किया है, substitute किया है। पहला है, जो illegal gratification है, जैसा पहले सेक्शन 7 और 8 में होता था, आपने सैक्शन 7 और 8 को in different words reproduce किया है। इसी तरह आपने कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन्स को अपने ambit में लिया है in another category और third आपने सैक्शन 13 को vastly अमेंड किया है। जो problem इसमें मुझे दिख रही है वह यह है। For the purpses of this Act, a function or an activity is a public function or activity, if the function or activity is of public nature. जो प्रॉब्लम 13 (1)(डी) में थी, वह आपने reintroduce कर दी है in Section 8. Public nature क्या है? Any activity can be of public nature. उसे define कैसे करेंगे। Again, you are leaving it to be a police officer कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट public

acvitivy में वह investigation start करे या न करे, FIR register करे या न करे। आपने जो 13 (डी) को bridge करने की कोशिश की कि 13 (डी) का जो मिसयूज़ होता था, उसमें जो problems थीं, जिन्हें आप बन्द करने की कोशिश कर रहे थे, वह आपने reintroduce कर दिया है by this Section. इसी तरह अन्य छोटी-छोटी कई चीज़ें इसमें हैं। जैसे सेक्शन 13 का explanation है, उसमें known source of income क्या होगी? नोन सोर्स ऑफ इन्कम क्या होती थी? आप उसे पहले से declare करते थे। You cannot improve upon a declaration. मतलब आपने पहले एक affidavit दिया, जैसे पार्लियामेंट में हमने affidavit दिया कि हमारे ये सब known sources of income हैं। इसके बाद, यदि हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट पाए जाते हैं, तो I cannot improve upon it. अब आपने उस improvement का scope reintroduce कर दिया by saying कि वह पुराना explanation हटा कर, एक नया एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। Frankly speaking, जो public servants होंगे, अब वे known sources of income describe कर सकते हैं by just saying that मुझे कल किसी ने यह पैसा दिया था। They need not have declared it earlier. वे अब कर सकते हैं, even after that incident has taken place. इसलिए इसमें बहुत सारी ambiguities हैं, which have to be dealt with. सैक्शन 13 में बहुत सी ambiguities हैं, substituted Section 7 में हैं, substituted Section 18 में हैं। अब Section 9 is a very dangerous provision. आपने for the first time, एक private person को introduce कर दिया है in this Act directly. एक private person, दूसरे private person के माध्यम से Government को influence करता है। उन सबके अगेंस्ट भी आप PC Act ले आए हैं। अब इसमें problem यह है कि third-party जो prosecution आप लाए हैं, वह भी to induce a public servant to perform improperly a public function or activity. What is improperly? इस चीज़ को आपने नहीं देखा। Suppose आप U.S. में जाइए, तो U.S. में advocacy amongst Senators or House of Representatives के MPs के साथ, is a normal thing. Would that be inducement? Suppose वे लोग अपनी बात advocate करते हैं या अपनी बात Secretary को, एक कमिशन को, एक कलैक्टर या चीफ सेक्रेटरी को बताते हैं। Will all that be inducement? What is that inducement you are talking about? जब बहुत सारी ambiguities हैं। कई चीज़ों में Law Commission has also opposed. लॉ कमीशन ने आपके सेक्शन 13 (डी) की परिभाषा को oppose किया है और कहा है कि यह परिभाषा ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि – of course, we are supporting the Bill – इसमें जो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं, जिनमें vagueness है, जिनमें लोगों के परेशान होने के चांस ज्यादा हैं, उन्हें मिनिस्टर साहब जरूर address करें, otherwise, it will lead to more litigation. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Bhupender Yadav.

श्री भूपेन्द्र यादवः सम्माननीय उपसभापति महोदय, किसी एक कानून पर पिछले तीन साल में स्टेंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी और लॉ कमीशन, तीनों ने ही एक साथ विचार किया है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का जो वर्तमान एक्ट है, इसके बारे में विचार किया है। जब राज्य सभा में सेलेक्ट कमेटी

[श्री भूपेन्द्र यादव]

बनी थी, तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, श्री अनिल माधव दवे उसके चेयरमैन बने थे और अनिल जी ने इस एक्ट को लेकर काफी सारे स्टेकहोल्डर्स से, सभी वर्गों और राज्य सरकारों के साथ कंसल्टेशन किया था। उनके मंत्री बनने के बाद, मुझे इसका चेयरमैन बनने का अवसर मिला। जो वर्ष 2013 में एक्ट आया और उसके आने के बाद स्टेंडिंग कमेटी ने उस पर विचार किया था। तब सबसे पहली आशंका यह थी कि इस एक्ट की applicability किसके ऊपर होगी? यह केवल लोक सेवक पर होगी या भविष्य में लोक सेवक के दायरे में आने वाले लोगों पर भी होगी? सेलेक्ट कमेटी ने विचार करके यह कहा कि जो लोक सेवक हैं, यह बिल उन्हीं के ऊपर applicable होना चाहिए और उसी के अनुकूल सेलेक्ट कमेटी ने इसमें परिवतन किया है।

सर, जो दूसरा विषय है, जो सेक्शन 8 का है, जिसके बारे में श्री विवेक के. तन्खा जी कह रहे थे, वह यह है कि हमने रिश्वत देने वाले प्राइवेट एंटिटी को भी इस बिल के अंदर शामिल किया है। जब हम 1988 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो 1947 का, प्री इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसको अमेंड करके लाए थे, तब उस समय के समाज की परिस्थितियां अलग थीं। 1988 के बाद, पूरे देश में जिस प्रकार की ओपन मार्किट का माहौल हुआ है और अगर हमें इस देश में एक फेयर मार्किट और फेयर competition खड़ा करना है, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि शासन की नीतियां, शासन में वितरण, वितरित होने वाले सामान, उससे लाभ उठाने वाले विषयों में किसी भी प्रकार का undue advantage नहीं दिया जाए, विशेष रूप से लोक सेवकों को। यह जो undue advantage है, यह undue advantage केवल पैसे के मामले में न हो, बल्कि किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा, किसी भी प्रकार की ऐसी संपत्ति, चाहे सोना हो, वह कैश में न होकर चाहे किसी भी रूप में हो, undue advantage के माध्यम से लोक सेवक प्रभावित नहीं होने चाहिए।

सर, हम अपने देश की यू.एस. के कानूनों से इसलिए तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एडवोकेसी कानून चल सकता है। वहां सामान्य व्यक्ति को अपना जीवन सम्मानपूर्वक जीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 125 करोड़ की आबादी में जिस प्रकार की असमानताएं हैं, इन असमानताओं में अगर कोई पहले सुविधा लेने के चक्कर में, किसी भी प्रकार का प्रलोभन लोक सेवक को देगा, तो वह निश्चित रूप से रिश्वत के दायरे में आता है। सेक्शन 8 को बनाते समय इस बात का प्रावधान भी किया गया है अगर किसी लोक सेवक के द्वारा किसी व्यक्ति को जबर्दस्ती इस बात के लिए मजबूर किया गया है कि वह रिश्वत दे, तो फिर वह प्राइवेट व्यक्ति सात दिनों के अंदर-अंदर अपना डिस्क्लोज़र दे दे, तब उसको उस विषय से या रिश्वत देने के मामले से बचाया जा सकता है । मुख्य रूप से यह जो विषय है, यह एक तरीके से शासन में पारदर्शिता लाने के लिए दिया गया है।

सर, जो दूसरा विषय है, वह व्यावसायिक संगठन का विषय है, कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन का विषय है। एक विषय कमेटी के बारे में भी आया था। पहले, जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब यह कहा गया था कि अगर कोई कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन इसमें पकड़ी जाएगी या कोई प्राइवेट व्यक्ति पकड़ा जायेगा, तो सीधे सात वर्ष की सजा देने का प्रावधान है, लेकिन सेलेक्ट कमेटी के सभी

सदस्यों ने इस पर विचार किया कि कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन में, उसको bonafide ही, प्रूव करने के लिए मौका मिलना चाहिए, इसलिए इसमें फाइन भी है, सजा भी है और दोनों बातें इकट्ठी भी हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि समाज में इस प्रकार के भय का वातावरण खड़ा करें कि अगर मैंने रिश्वत लेने में नाम भी दिया है, तो आप एकदम सजा मिलने से अंदर चले जाएं, इसलिए सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश ने इसको बड़ा लिबरल करके फाइन, सजा और दोनों, इन तीनों प्रावधानों को सजा के अंतर्गत शामिल किया है, और यह उसी रूप में इस बिल के अंतर्गत आया है।

सर, इसके साथ ही साथ जुर्माने की राशि और अनुचित लाभ की जो परिभाषा है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार के समय में, सरकार के कार्य करते समय, उसके निर्णय लेने के लिए, जितने सीनियर स्तर पर कोई लोक सेवक अर्थात् पब्लिक सर्वेंट पहुंचता है, उसको उतना ही बड़ा निर्णय लेने का अधिकार होता है, लेकिन अगर उसके निर्णयों को bonafide ही प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, तो भविष्य में, जो उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है, वह शिथिल हो जाएगी। हर आदमी को लगेगा कि अब मैं सबसे उच्च स्तर पर आ गया हूं, अगर आज मैंने यह निर्णय ले लिया, लेकिन दो साल बाद मेरी रिटायरमेंट भी है। एच ए पब्लिक सर्वेंट, आज के समय में उसको जो bonafide ही decision लेने की प्रोटेक्शन है, उसके खिलाफ जब जांच शुरू हो, तो कम से कम उसे उस प्रकार की, उसके खिलाफ एक तरह की सैंक्शन के जो आरोप लगे हैं, उसकी परमिशन मिलनी चाहिए और इस बिल में उसका प्रावधान भी किया गया है।

महोदय, इस बिल के अंतर्गत हम जो मुख्य रूप से सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं और यह सदन भी इस बिल को पूरा समर्थन दे रहा है कि केवल रिश्वत लेना ही अपराध नहीं है, अगर हम समाज में एक moral conscience खड़ा करना चाहते हैं, तो रिश्वत देना भी अपराध है, इसलिए इसमें रिश्वत लेना और देना, दोनों को ही अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन सिर्फ रिश्वत देना या लेना ही नहीं बल्कि, जो लोग बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, उनको भी इस परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है। जहां तक यह विषय आया है कि पहले सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में gratification की परिभाषा थी, इसे बाद में undue advantage किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर के सभी देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह नया कानून आया है और जस्टिस ए.पी. शाह की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में जो रिकमंडेशंस की गई थीं, उनमें भी उन्होंने अलग-अलग सभी शब्दों को निकाल कर, साथ ही pecuniary gratification, illegal gratification को भी निकाल कर, undue advantage एक ही शब्द के रूप में परिभाषित किया है। इनको इस बिल के अंतर्गत शामिल करने के साथ ही बिचौलियों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के शासन में जो कंपनियां किसी भी तरह के प्रलोभन करने वाली हैं, जो एक गिफ्ट से लेकर या सुविधा देने की बात है, उन कमर्शियल ऑर्गनाइजेशंस को शामिल किया है। इस crime को conduct करने के लिए जो habitual offender हैं, उनके लिए अलग से सज़ा का प्रावधान किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के अंतर्गत संपत्ति के अटैचमेंट का विषय है, निश्चित रूप से कोई भी ऐसी संपत्ति जो अपने ज्ञात स्रोत से ज्यादा धन से कमाई गई है, से संबंधित है। मैं कहना

[श्री भूपेन्द्र यादव]

चाहता हूं कि कई बार जो लोक सेवक काम करते हैं, उनके बारे में यह जरूरी नहीं है, उनको संपत्ति विरासत में भी मिल सकती है। marriage में गिफ्ट में मिल सकती है, इसलिए यह एक बार तय होना चाहिए कि जो ज्ञात स्रोत हैं, ज्ञात स्रोत में हो सकता है कि उसकी इनकम ज्यादा हो, लेकिन अगर वह प्रूव करता है कि यह मेरा ज्ञात स्रोत है, यह मेरा known स्रोत है, तब उसको उसके ऊपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि wrong-doing का जो भी presumption है, *prima facie* देश में जो भी लोक सेवक, नौकरशाह काम करते हैं, अगर हम एक ही मानसिकता को पूरे देश में खड़ा कर देंगे कि इधर बैठे सभी लोग खराब हैं और इधर बैठे सभी लोग सही हैं, इससे समाज एक साथ नहीं चल सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों प्रकार के पक्षों में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उस तरफ बैठकर रिश्वत के माध्यम से अपना काम करवाना चाहता हो या इस तरफ बैठकर अनुचित प्रलोभन देना चाहता हो, मुझे लगता है कि दोनों में प्रूव होना जरूरी है। केवल विचार ही नहीं, उसका conduct prove होना जरूरी है कि उसने अपने-अपने काम को undue advantage लेने के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया। इसके लिए दोनों को ही प्रोटेक्शन देने का काम किया गया है और उसके लिए बिल में प्रोविज़ो बनाए गए हैं। मेरा यह मानना है कि 2013 का बिल, जो सरकार के द्वारा लाया गया था, उसके ऊपर पर्याप्त रूप से लॉ कमीशन, स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी ने विचार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर इस सदन की सेलेक्ट कमेटी बनी थी, सेलेक्ट कमेटी के सभी सदस्यों ने इस पर पूरा विचार करने के बाद इसमें सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश में जिस प्रकार का कमर्शियल वातावरण बन रहा है, उसमें देश में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, पारदर्शी रूप से शासन चलाने के लिए हमें इस कानून की आवश्यकता है। मैं यह विश्वास करता हूं कि यह कानून, जो इस सदन की सेलेक्ट कमेटी के द्वारा सर्वसम्मति से बनाया गया है, यह आने वाले समय में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और मेरी उपेक्षा है कि सदन के सभी सदस्य मिलकर इसको समर्थन दें।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Sir, hon. Minister for Law is not present in the House.

First of all, the original Act, Prevention of Corruption Act of 1947, has been replaced by the 1998 Act. While passing the 1998 Act, the definition of 'public servant' has been widened. According to the widened definition, various courts started passing judgments. According to Section 2(8) of the Prevention of Corruption Act, 1998, any person who holds an office by virtue of which he is authorised or required to perform any public duty would be considered 'public servant'. Now the question is whether an MP or MLA or MLC would be considered 'public servant' under the Prevention of Corruption Act or not. As per the original Act of 1947, it was very categorical and MPs or MLAs were not considered as public servants. When this Act was replaced in 1998, though it was not clear, since the definition was widened, as I stated just now, the courts started passing

judgements considering MPs and MLAs as public servants, though it was not specified under the Act. For the simple reason that the definition of public servant has been defined in some other Acts, say, like Office of Profit Act or some other Act, even MPs and MLAs have been included. It has started importing the definition from the other Acts. Therefore, I would like to know from the hon. Law Minister, according to this Amendment, what is being amended by virtue of this Bill, whether the MPs and MLAs have been included under the definition of public servants or not. That has to be clarified because the Supreme Court while dealing with the judgement has categorically stated that in the absence of any clear inclusion of MPs and MLAs in the Prevention of Corruption Act, the legislative intent was not clear and the Supreme Court has decided to include them in the light of the widened definition in accordance with the 1998 Act. Therefore, the Government has to make it clear and in the definition they have to specifically say whether MPs and MLAs have been included under the definition or not. There is one point, Sir. If at all, MPs and MLAs are included in the definition of public servant, adequate security measures have to be taken because there is every possibility of ruling dispensation harassing the opposition. This issue has to be addressed. Secondly, there are certain other aspects in the Bill. There are certain positive aspects also in the Bill. This particular Amendment Bill allows the public servants to take decisions without fear. This is really appreciable. The Bill amends the definition of criminal misconduct under Section 13. It includes fraudulent misappropriation of property entrusted to the public servant, and second, intentional enrichment by illicit means. Sir, as the definition is very clear, the public servant will be in a position to take decisions without any fear because there is less possibility of public servants being harassed in view of the definition. So far as fast track courts are concerned, this Bill provides special courts and special judges and the trials are to be completed within a period of two years. This is very important. In fact, according to the Central Vigilance Commission, there are 3,500 cases which are pending for more than five years in different courts and all, but the only point is, in fact, it has come in the debate also in earlier Parliamentary proceedings, whether a particular class of people be it MPs, MLAs or MLCs or a particular class of people in the society, can be discriminated for the sake of conducting the trial. See, that is the moot question which is being debated and, in fact, the Government is in favour of bringing the MLAs, in case there is a misappropriation or there are cases pending under the Prevention of Corruption Act to be tried under the special courts. It is okay, Sir. It is fine. Another important feature which can be appreciated is that the Bill brings the Indian legislature framework in consonance with the United Nations Convention against Corruption. ...*(Time-bell rings)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your time is up, Mr. Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Two more points I have to make, Sir. There are two concerns which the Government of India has to address. Sir, there is no distinction ...*(Time-bell rings)*... Please just go through the Bill. It reveals the fact that there is no distinction between the coercive and collusive bribery. ...*(Time-bell rings)*... I want the Minister of Law to address it and make a distinction between the collusive and coercive bribery. The last point I would like to make is about the prior approval of conducting the investigation in the case of public servants. Sir, there has to be a time limit. It can be three months or four months and the respective authority whether it is Lokpal or Lokayukta or any authority for that matter must be able to take decision within a specified period of time. Therefore, I want the Law Minister to make a provision in this Bill prescribing a time limit for granting the sanction for investigation. Thank you very much.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Prevention of Corruption Act is one part of the edifice of anti-corruption legislation that the Congress Party has established over the years. This is the first, of course, but many years later we had the Right to Information Bill, we had the Lokpal Bill and numerous other Bills that were put in place. One good thing about what this amendment is that is focused on targeting the bribe-giver. Many times we have let bribe-givers get away, but just as Mr. Vijayasai Reddy pointed out, this distinction between coercive and collusive bribery needs to be clarified much more clearly. The current amendment allows one week for a bribe-giver to report to the authorities that they have been coerced to give a bribe. One week, in my view, is particularly small and we possibly need to expand it because a large number of people interacting with Government servants are possibly doing it for the first time, not in a habitual manner, and therefore, they may be perturbed by these kinds of demands and the pressure put on them. They will need more time before they understand that they can go out and report this coercion before actually giving the bribe or after having actually given the bribe because they were forced to, not that they are colluding with the bribe-taker.

Sir, this kind of fine-tuning is needed, but Minister Sir, when you are introducing amendments to this Bill, why have you not introduced an amendment which says if there is no Lokpal you do not need to seek permission because there is no Lokpal for the last four years under your administration? Why is there no Lokpal? It is because you have

found a technicality about the Leader of the Opposition. That technicality was not there when you wanted to amend the Delhi Police Act and bring in changes to the CBI Director selection process.

Sir, this Government's intention is to use technicalities of various kinds, to subvert and sabotage the edifice of anti-corruption legislation that the UPA and the Congress have put in place over the years. Let me explain.

The Minister, in every Session, lists the Whistleblowers (Amendment) Act. Why has he not brought it? It is because that is an Act which subverts and targets whistleblowers, ensures that they are muted and made vulnerable to all kinds of other attacks. I say this in future they will have to first seek that information through the RTI, thus alerting the people whom they are blowing the whistle on. What kind of subversion or sabotage is that? The Government's intent is to ensure that anyone who wants to get away with corruption can get away with it and no one will be the wiser.

Similarly, Sir, with the RTI, you are seeing a lot of opposition now because in a very subtle manner they are changing the status of the information Commissioners, that is, who has the control of the tenure and their emoluments. So, all these are examples of what the Government does when there is an issue of intent.

So, my concern is that the intent of the Government is not honest in this case and if you actually look across the board, you will see the same when the Finance Minister talked about electoral bonds. The spin was that it would bring about transparency and fairness. It fails the transparency test, it fails the fairness test. It ensures that the Government will know who is giving money to whom and can then coerce and pressurise political contributors so that they do not help the Opposition Parties. Sir, this has been the pattern and people like us, who are researchers in the past, can find these patterns that emerge. Technicalities are introduced and they will ensure that these laws are not effective. Sir, why are they doing this? If we ask about the Rafale, the price and why were those changes in purchase precipitated, we don't have an answer. We don't get a price. The company that sells the Rafale will disclose the price in their Annual Report, but our Government is not willing to tell the people of India why they did this and what is the price we are paying for our own aircraft.

Sir, Vyapam Scam has come up. If you go to other States, India's largest States, the Chief Minister withdraws all cases against him for inciting various kinds of riots, etc. On Panama papers, no action has been taken. We can go on and on and on. Witnesses have

[Shri V. Vijayasai Reddy]

been killed. You see a variety of cases where all the witnesses have turned hostile. Why is that? Why do witnesses turn hostile? Have they suddenly lost their mind and are suffering from amnesia.

No, there is pressure being put on them. There are enough cases out there to cover-up corruption which this Government is clearly indulging in and this Act and its amendments and the efforts to use technicalities to subvert and sabotage anti-corruption legislation clearly suggest to me that what you have here is a Government that is focused on the promotion of corruption rather than the prevention of corruption. I would urge the Minister, before moving forward in replying, to please look in the mirror and then realize where the corruption exists in this country and what needs to be done.

Thank you very much, Sir.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman Sir. The Statement of Objects and Reasons in the 2013 Bill stated that the amendments were brought to be in line with the UNCAC, 2005, that is, the United Nations Conventions Against Corruption. But certain very important provisions have not been included in this Bill. Number one, giving bribe to a foreign public servant; number two, a bribe taken by a private sector entity; and, number three, compensation to those aggrieved by acts of corruption. These very important factors, which were in the UNCAC, have not been included in the Bill.

Sir, now, I want to focus on three very important points. The first point, which has been mentioned by my other colleagues also, is this. In this Bill, giving bribe has been made a direct offence. Giving bribe was not an offence in the principal Act. But, in this Bill, a bribe-giver has also been brought in as an offender. As everyone pointed out, I think, there is nothing wrong in reiterating it. If a person is coerced to give bribe, how it will be considered — colluding with the taker or coerced by the taker. However, you have here given a provision that within seven days the matter can be reported to the competent law authorities, if there has been coercion, and the action would be taken; or, he would be exempted. But, the period of seven days is very, very short. In our country, most of the people are poor, ignorant and illiterate. They do not know whom to approach within seven days. For example, a person, who is going to get a ration card or a community certificate or filing an F.I.R., is compelled to give a bribe, he may not know whom to approach within seven days. And, he will actually be worried that if at all he goes and complaints

to someone about the person who is asking for bribe, his normal work would not be taken care of. So, I think, the bribe-giver would be in a very big trouble, as per the provisions of this Bill.

Number two, Clause 17(a) of this Bill talks about prior approval for investigation. Before a police officer conducts any investigation against a crime committed by a public servant, he should obtain the prior approval of the relevant Government or the competent authority. Here, I would like you to go back to the judgement given by a Bench of hon. Supreme Court, consisting of five Judges. It is with regard to the Delhi Police Act, that is, the CBI. That applies to this also. The hon. Supreme Court has very clearly said that the essence of police investigation is skilful inquiry and collection of material and evidence in a manner by which the potential culpable individuals are not forewarned. The previous approval from the Government necessarily required, under Section 6(A), would result in indirectly putting on notice the officer to be investigated even before commencement of investigation. Morever, the Judgement says in that case, if the CBI is not even allowed to verify complaints by preliminary inquiry how can the case move forward? A preliminary inquiry is intended to ascertain whether a *prima facie* case for investigation is made out or not. So, if prevented from holding a preliminary inquiry at the very threshold, a fetter is put to enable the investigating authorities to gather relevant material. As a matter of fact, the CBI, again, is not able to collect the material even to move the Government for the purpose of obtaining prior approval from the Central Government. So, Sir, prior approval is necessary even for investigation. A prosecution can be made only by way of investigation, but even for investigation, approval is needed. It can be denied or declined any time by saying that there is no prima facie case. So, Sir, prior approval for investigation is not warranted; for prosecution, of course, it is warranted. This is one of the fears or apprehensions everyone is having for the cases will not move forward. If investigation approval is sought, I think the purpose of the Bill or the purpose of bringing amendments to the principal Act would not be served. ...*(Time-bell rings)*...

Thirdly, it is very important and a very small one rather. The earlier Act said that trivials were exempted from being considered as bribe. But, now, trivial is also included. Trivial means very small gifts like a diary. If something special is given at a person's place, that is trivial. That is also considered as a bribe and is also punishable. These are the only three things which irks us in this Bill. I should say that this is check-in Chamber, the Upper House, which has always been deep in scrutinising every Bill, any Bill, by sending it to the Standing Committee and the Select Committee. It has taken five long years and

[Shri Tiruchi Siva]
has brought in many, many amendments as recommended by the Select Committee and the Standing Committee. We appreciate that, Sir. We support this Bill. But the three things which I have mentioned here about the giver being brought into the net, the abetment case, investigation requiring approval, and, lastly, inclusion of trivials are the three points of constraints in this Bill. With these words, Sir, I support this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shri Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I thank you for having given me this opportunity to take part in this discussion. I just want to point out some of the shortcomings in the Bill. Before that, I would like to say that one of the promises of the BJP Government in 2014 was a transparent administration. Now, the amendments proposed to be made in this Bill are far away from the target of transparency. As for example, there is a conflict. Corruption and corrupt practices have not been defined clearly in this Amendment Bill. As a result, if the Government introduces a policy to benefit any vested interest group in the name of a provision of a public good, it may escape being held accountable. So, this is one of the shortcomings in this Bill.

Secondly, the second Administrative Reforms Commission had made certain recommendations. One of those recommendations was classification of distortion of democratic institutions. Then, violation of oath of office is not included in this amendment. Apart from this, abuse of authority, favouritism, obstruction of justice, conflict of interest within the definition of corruption are missing in this amendment.

My next point is about the phrases in the amendment. One is 'relevant expectation' and the other is 'improper performance', which are both vague and subject to abuse when variedly interpreted.

My next point, which some of my friends have already mentioned, is that the power of approval to confiscate property of a corrupt public servant lies with the Government. It should be transferred to the head of the investigating agency to enhance the effectiveness and efficiency of the Act.

Sir, my last point is this. As far as seeking permission to investigate public servants is concerned, Clauses 8A and 8B, inserted into 2013 Amendment Bill *vide* 2015 amendment to the Bill, amended section 17 of the 1988 Act. Many of my friends have pointed out

that investigating agencies take permission from Lokpal in the case of Government of India officials and from Lokayukta in case of State Government officials and such other authority under whose jurisdiction the public servant falls. Now, my question is, why this permission is required. Lokayuktas have not been appointed in many of the States. Apart from this, this amendment cannot meet its objectives as the alleged harassment only occurs during trial process. An effective solution to this problem has already been incorporated into the 1988 Act and Criminal Procedure Code where permission to prosecute Judges and public officers must be taken from Central Government, State Government or competent authority, as the case may be. So, already this provision is there. Therefore, to take prior permission from Lokayukta or Lokpal is contradictory here. So, my request to the hon. Minister is, while he will reply, please also clarify these points. Thank you, Sir.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, यूनाइटेड नेशन कन्वेन्शन अगेंस्ट करप्शन में यह बात उभर करके आई कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए और इसको लेकर एक राष्ट्रीय चिंता हुई और पार्लियामेंट में इस तरीके की चर्चा हुई कि जो हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 है, इसे संशोधित किया जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे विधेयक की आवश्यकता है, जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सक्षम हो सके।

मान्यवर, भ्रष्टाचार हमारे देश और समाज की जड़ों में इस प्रकार से दीमक की तरह लगा हुआ है कि वह इन जड़ों को खोखला करने का काम कर रहा है। आज दुनिया में जिस तरह से हमारे देश की ख्याति भ्रष्टाचार को ले करके गिरी है, आपको स्मरण होगा कि पिछले दिनों इस देश में इतने बड़े-बड़े स्कैम्स हुए कि सारी दुनिया में देश का सिर झुका और देश की जनता अपने को अपमानित महसूस की। जब लाखों करोड़ के बड़े-बड़े स्कैम्स हुए, तब उसी समय इस तरह का निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को संशोधित करके प्रभावी बनाने का काम किया जाए।

महोदय, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ, सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन आदि विभिन्न स्तरों पर इस पर चर्चा हुई और बहुत मूल्यवान सुझाव आए। इसके आधार पर इसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और आज यह संशोधन बिल आपके समक्ष, सदन के समक्ष प्रस्तुत है। मान्यवर, इसे लोक सभा पहले ही पारित कर चुकी है और आज यहां पर इस पर माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से चर्चा की तथा बहुत मूल्यवान सुझाव भी दिए हैं। मैंने देखा कि इस विधेयक को पारित करने में पक्ष और विपक्ष सारे लोगों की सहमति है। इस विधेयक के पारित होने के बाद निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

मान्यवर, आज एक बड़ी चिंता का विषय है और वह यह है कि जो हमारे लोक सेवक हैं, उनमें से कुछ का जीवन इतना विलासितापूर्ण है, इतना रईसी का जीवन है कि उसकी उनके वेतन से कोई तुलना नहीं हो सकती। हमारे यहां धीरे-धीरे यह एक स्थापित नियम बनता जा रहा है कि वेतन तो

[डा. अशोक बाजपेयी]

उनका अधिकार है, ऊपर से मिलने वाली आय ही उनका मुख्य स्रोत है और उसके लिए वे ज्यादा चिंतित रहा करते हैं। इस कारण से कई बार सामान्यजन और देश-प्रदेश की जनता ऐसे तमाम लोक सेवकों के आचरण की शिकार होती है, मजबूरी में अपना काम कराने के लिए, उचित न्याय पाने के लिए उनको अपना अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है। इससे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा है, व्याप्त हुआ है।

मान्यवर, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश के प्रधान मंत्री पर जनता का इतना अटूट विश्वास है और लोगों को विश्वास बढ़ा कि मोदी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही प्रधान मंत्री जी का वह संदेश, "न खायेंगे, न खाने देंगे" देश में इसको लेकर नीचे तक एक संदेश गया और उसका प्रभाव भी पड़ा। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद वह निर्णय और ज्यादा व्यापक हो सकेगा और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा।

मान्यवर, इसमें जो संशोधन किए गए हैं, वे इस प्रकार से हैं - अभी तक जो सज़ा का प्रावधान था, वह न्यूनतम 6 महीने का था और अधिकतम 5 वर्ष का था, अब इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में लाने का काम किया गया है और न्यूनतम सजा 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इससे भय व्याप्त होगा और भ्रष्टाचार करने वाले लोक सेवकों पर अंकुश लगाने का काम होगा। इसी तरीके से संगठित क्षेत्र के लोग भी जो व्यवस्था से भ्रष्टाचार के माध्यम से सारी सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करते थे, उन पर भी अंकुश लगेगा और उनके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें लोक सेवकों के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था की गई है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले लोकपाल और लोकायुक्त से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह प्रावधान भी बहुत प्रभावी रहेगा, इससे किसी का उत्पीड़न नहीं हो सकेगा और न्यायपरक और पारदर्शी ढंग से कार्रवाई हो सकेगी।

मान्यवर, इसी तरह से, भ्रष्टाचार के मामले वर्षों तक अदालतों में लम्बित रहते थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था और ऐसा लगता था कि न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, लेकिन इस अधिनियम के आने के बाद दो वर्ष की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। न्यायालय को इस संबंध में दो वर्ष के अंदर निर्णय देना होगा और उस निर्णय से निश्चित रूप से दोषी लोग सज़ा पा सकेंगे। इसी प्रकार, न्यायालयों को ही इस तरह से भ्रष्ट आचरण से अर्जित की हुई सम्पत्ति और उनके वैभवपूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन की परिसम्पत्तियों को भी अधिगृहीत करने का अधिकार देने की व्यवस्था इसमें की गई है। मान्यवर, अब निश्चित रूप से यह देखा जाएगा कि आपकी लोक सेवक के रूप में कितने साल की सेवाएं हैं, आप किस पद पर काम कर रहे हैं और आपने आज तक जो तमाम वैभव अर्जित किया है, जो तमाम परिसम्पत्तियां बनाई हैं, वह सब इतनी सीमित आय या सीमित तनख्वाह से कैसे संभव हो सका है। ऐसी परिसम्पत्तियां, जिनके अर्जन के बारे में वे समुचित कारण नहीं बता सकेंगे, उन सम्पत्तियों का अधिग्रहण हो सकेगा। मान्यवर, यह अधिकार उसी विशेष अदालत को दिया गया है, तो निश्चित रूप से इससे लाभ होगा और इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस अधिनियम में यह कोई अंतिम संशोधन नहीं है। इस अधिनियम के आने के बाद, इसमें तीन बार संशोधन हो चुके हैं। मुझे आज तो यह लगता है कि यह मुकम्मल है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर माननीय सदन को ऐसा महसूस होता है कि इसमें किसी और संशोधन की आवश्यकता है, तो समय पर उस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन, आज जिस रूप में संशोधन पेश हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह अपने में सम्पूर्ण है। इसमें उन तमाम प्रावधानों को जोड़ने का काम किया गया है, जिनसे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। इस सरकार की जो मंशा है कि हम जनता को पूरा न्याय देंगे और इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे तथा दुनिया में जो देश की ख्याति गिरी है, देश का सम्मान घटा है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें मदद मिलेगी और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने की दिशा में यह विधेयक एक कारगर कदम साबित होगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित करने का काम करें। इससे मीडिया के माध्यम से देश की जनता के बीच एक बड़ा संदेश जाएगा कि इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के पक्ष में पूरा सदन एकमत था। उससे भ्रष्ट आचरण करने वाले लोगों में भी यह भय व्याप्त होगा कि आज पूरे सदन में एकमत से इस विधेयक को पारित किया है और पक्ष-विपक्ष, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, तो अब ऐसा कदाचरण करना मुश्किल है, इस तरह का एक बड़ा संदेश जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

REGARDING TAKING UP OF A BILL FOR DISCUSSION AND DELIBERATION

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): This was his maiden speech. He could have spoken more, but he has finished earlier. Now, the last speaker is Shri Sushil Kumar Gupta, but before that let me announce that The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017 will not be taken up today. It will be taken up on Monday. But we would still be having a few minutes left. So, we would take up The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2018.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, Sir. That Bill is very important. It requires a long discussion. It should not be pushed through; I am sorry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It would have a long discussion. It would just be started today and it would continue later. Is that clear? ...*(Interruptions)*... आज इसको सिर्फ शुरू करेंगे। ...**(व्यवधान)**...